पत्र संख्या 4904
वन विभाग हिमाचल प्रदेष ।

दिनांक रामपुर, से 05/01/2022

प्रेषितः—

अधिशासी अभियंता,
हि0 प्र0 लोक निर्माण, भवन एवं सड़क निर्माण,.
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ।

विषयः— ऐरली कैंची से गांव मटेकली सड़क निर्माण के लिए 0—45—75 हैक्टेयर वन भूमि (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के अर्न्तगत अधिशासी अभियंता, हि0 प्र0 लोक निर्माण, भवन एवं सड़क निर्माण, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के नाम हस्तान्तरण करने बारे ।

ज्ञापनः

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में वन परिक्षेत्राधिकारी बाहली के कार्यालय पत्र संख्या 144/BH दिनांक 28/9/2021 द्वारा प्रेषित अधिशासी अभियंता, हि0 प्र0 लोक निर्माण, भवन एवं सड़क निर्माण, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ऐरली कैंची से गांव मटेकली सड़क निर्माण के लिए 0—45—75 हैक्टेयर वन भूमि खसरा न0 142/1,139/1, 133/1, 137/1, 139/1, 142/2, 267/1, 269/1 और 267/3 मोहाल मझोली (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के अर्न्तगत अधिशासी अभियंता, हि0 प्र0 लोक निर्माण, भवन एवं सड़क निर्माण, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के नाम हस्तान्तरण करने का मामला इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

वन भूमि हस्तान्तरण मामले के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वन परिक्षेत्राधिकारी बाहली ने मामले की छान बीन हेतू अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के अर्न्तगत मौका निरिक्षण किया । इस प्रस्तावित सड़क निर्माण में 0—45—75 हैक्टेयर वन भूमि खसरा न0 142/1,139/1, 133/1, 137/1, 139/1, 142/2, 267/1, 269/1 और 267/3 मोहाल मझोली संलिप्त है तथा इस वन भूमि पर 27 वृक्ष हैं । इस प्रस्तावित ऐरली कैंची से गांव मटेकली सड़क निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थान अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र है जोकि 0-70-75 हैक्टेयर जिस पर 30 वृक्ष होने की वजह से निरस्त किया गया । इस लिए मौके पर उपस्थित वन विभाग, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों तथा उपस्थित ग्राम वासियों ने उक्त रोड़ निर्माण हेतु इस रकबे को अधिशासी अभियंता, हि0 प्र0 लोक निर्माण, भवन एवं सड़क निर्माण, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के नाम हस्तान्तरण करने की सिफारिश की है। इस रकबे को हस्तान्तरण करने के अलावा कोई अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है। इस लिए यही एक विकल्प है ।

इस सड़क निर्माण की भूमि ग्राम पंचायत मझोली टिपर में पड़ती है और ग्राम सभा मझोली ने 261/513 की गणपूर्ति में इस रोड़ के निर्माण हेतु 0—45—75 है0 वन भूमि अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के अर्न्तगत अधिशासी अभियंता, हि0 प्र0 लोक निर्माण, भवन एवं सड़क निर्माण, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के नाम हस्तान्तरण करने बारे सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया है और अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है ।

अतः वन परिक्षेत्राधिकारी बाहली की रिर्पोट एवं मौके पर उपस्थित सभी अधिकारियों तथा संलग्न राजस्व अभिलेखों तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत षिंगला द्वारा पारित प्रस्ताव को मध्यनजर रखते हुए उक्त वन भूमि खसरा न0 142/1,139/1, 133/1, 137/1, 139/1, 142/2, 267/1, 269/1 और 267/3 मोहाल मझोली में आता है तथा इस वन भूमि पर 27 वृक्ष हैं जिस में कुल 0—45—75 है0 वन भूमि को ऐरली कैंची से गांव मटेकली सड़क निर्माण हेतु अद्योहस्ताक्षरी अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) में प्रदत शक्तियों का

Scanned with CamScanner

प्रयोग करते हुए उक्त वन भूमि को अधिशासी अभियंता, हि0 प्र0 लोक निर्माण, भवन एवं सड़क निर्माण, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 के नाम हस्तान्तरण करने की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी ।
2. वन भूमि खसरा न0 ऐरली कैंची से गांव मटेकली सड़क तादादी 0–45–75 है0 जमाबन्दी वर्ष 2016-17 के अनुसार मलकीयत सरकार हि0 प्र0 का ही रहेगा ।
3. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा तथा उपयोगकर्ता विभाग हस्तान्तरित की गई भूमि के बाहर कोई अवैध कब्जा नहीं करेगा ।
4. अधिशासी अभियंता, हि0 प्र0 लोक निर्माण, भवन एवं सड़क निर्माण, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 यदि उक्त भूमि को अनापती प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर जिस कार्य हेतु आवेदन किया है आरम्भ नहीं करता है तो वन विभाग उक्त भूमि को वापिस लेने के लिए प्राधिकृत होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा ।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवंज जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी ।
7. कम से कम वृक्ष/सैप्लिगं कटवाऐ जायेगे, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 27 वृक्षों से अधिक नही होगी।
8. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा ।
9. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेष/अनुदेष आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेंदारी होगी ।
10. निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां संभव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना क्षेत्र में खाली स्थानों पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण तथा उसका 7 से 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जाएगा।
11. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत/हिमाचल प्रदेष सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे लागू होगी ।
12. ऐरली कैंची से गांव मटेकली सड़क निर्माण में काटे जाने वाले 27 विभिन्न प्रकार के पेड़ जिसकी सूची संलग्न है काटे जाने है। जब तक पेड़ो के कटान का कार्य मुकम्मल नही होता तब तक अधिशासी अभियंता, हि0 प्र0 लोक निर्माण, भवन एवं सड़क निर्माण, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 कार्य आरम्भ नही करेगा और न ही इस निर्माण के दौरान हस्तान्तरण की जाने वाली भूमि के बाहर कोई अवैध कटान अथवा अवैध कब्जा करेगा।
13. अधिशासी अभियंता, हि0 प्र0 लोक निर्माण, भवन एवं सड़क निर्माण, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 उक्त 27 पेड़ो के बदले में 54 पौधे, चयनित वन भूमि के अन्दर लगाएगे तथा उसका 7–10 वर्षों तक रख–रखाव भी करेगे ।

उप–अरण्यपाल,
रामपुर वन मण्डल,
रामपुर बुशैहर ।

Scanned with CamScanner